To improve things in future an understanding was arrived that:

(1) there was need to give positive projection through Radio and TV in both the countries. Officials of the two countries could meet every three months and review the coverage.

(2) Radio correspondents of the two countries be exchanged.

(3) Radio and Television Programmes of the two countries be regularly exchanged.

सोनीपत की ई० सी० ई० द्वारा कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

1370. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनीपत की ई० सी० ई० कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में कितनी बार कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ;

(ख) इस कम्पनी के विरुद्ध अभी तक कितने मामले दर्ज किये जा चुके हैं ; और

(ग) इन सभी मामलों में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ई० सी० ई० या ई० सी० जी० सोनीपत के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य के मन में "इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्युपमेंट कम्पनी लिमिटेड", नाम की कम्पनी है, जो कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा के यहां पंजीकृत है। इस कम्पनी के संबंध में, पिछले तीन सालों के दौरान सरकार की सूचना में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित दोष आए हैं:—

(1) फार्म संख्या 6, दिनांक 9-3-81 (शेयर पूंजी में वृद्धि) को प्रस्तुत करने में विलम्ब, जिसके सम्बन्ध में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 611(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था ।

(2) फार्म संख्या 23, दिनांक 20–12–82 (विशेष संकल्प) को प्रस्तुत करने में विलम्ब, जिसके संबंध में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 611(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।

(3) दिनांक 31–10–1983 तक के, कम्पनी के तुलन पत्र से यह प्रतीत होता है कि इसने कम्पनी अधिनियम की धारा 370 के उल्लंघन में अन्य निगमित संस्थाओं में निक्षेपों को दिया है तथापि, कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि निक्षेप, अधिनियम की धारा 370 के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अन्दर है । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पिछले तीन सालों की अवधि में कम्पनी के विरुद्ध कोई भी अभियोग प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Making payment of Telephone Bills in instalments

1371. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it ig a fact that telephones of subscribers who request the telephone department, Delhi to allow them to pay their telephone bills in instalments in case the department